मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ-**15-15/2021/10-2**, भोपाल, दिनांक **21-07-2025**

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
   मध्यप्रदेश, भोपाल

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
   मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय: वन अपराध प्रकरणों में खात्मा/खारिजी या नस्तीबद्ध करने संबंधी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन बावत्।

विषयांतर्गत उल्लेख है कि वन अपराध प्रकरणों में खात्मा/खारिजी या नस्तीबद्ध करने संबंधी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर राजपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:उपरोक्तानुसार

STSF/ संर क्षेत्र

P.C.C.F. (W.L.) (M.P.) 23/7/25

Digitally signed by
Mahesh Kumar Joshi
Date: 21-07-2025
15:56:57

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्र. ई-5-884-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे (2010), संचालक बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 30 जून से 11 जुलाई 2025 तक, बारह दिवस का संतान पालन अवकाश (दिनांक 28, 29 जून एवं 12, 13 जुलाई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे, संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव रंजन मीना, भाप्रसे (2012), वि.क.अ-सह-आयुक्त, सह-संचालक, संस्थागत वित्त, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे, द्वारा संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन मीना, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(7) यदि श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2025

क्र. ई-5-1226-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री मनोज कुमार सरियाम, भाप्रसे (2017), अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 7 से 18 जुलाई 2025 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 5, 6 जुलाई एवं 19, 20 जुलाई 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत करते हुए, उन्हें दिनांक 8 से 20 जुलाई 2025 तक, तेरह दिवस हेतु एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार सरियाम, भाप्रसे, अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार सरियाम, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार सरियाम, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2025

क्र.-एफ 15-15-2021-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 15-15-2021-दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2021 को अधिक्रमित करते हुए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 64(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा-संशोधित 2022 के अंतर्गत वन्यप्राणियों के संबंध में दर्ज प्रकरणों को निम्न परिस्थितियों में नस्तीबद्ध किया जा सकेगा :—

(अ) प्राकृतिक रूप से मृत पाया जाना सिद्ध हो या

(ब) ऐसे प्रकरण जिसकी जाँच में कोई अपराध कारित होना न पाया जाये या

(स) ऐसे अपराध प्रकरण जिसमें अपराध कारित होना पाया जाये परन्तु आरोपी का पता लगा पाना अथक प्रयास के उपरांत भी संभव न हो.

2. उक्त परिस्थितियों वाले प्रकरणों को नस्तीबद्ध करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके प्रभार क्षेत्र में अधिकृत किया जाता है :—

1. क्षेत्रीय वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी
2. क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
3. संचालक राष्ट्रीय उद्यान
4. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड.

3. उपरोक्त में (स) परिस्थिति वाले ऐसे प्रकरणों में नस्तीबद्ध करने से पूर्व मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की लिखित अनुमति आवश्यक होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.